राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी, स्वास्थ्य भवन, जयपुर

क्रमांक :– एफ. 11/एनएचएम/भण्डार/मासिक वाहन/2018/ 498 दिनांक :– 23/8/18

मासिक किराये के आधार पर वाहन लेने हेतु दर आमंत्रण सूचना

नेशनल हैल्थ मिशन में मासिक किराये के आधार पर वाहन लेने के प्रयोजनार्थ 01 वर्ष की दर संविदा करने हेतु व्यक्ति, स्वामी, फर्मो एवं ट्रेवल एजेन्सीज से दरें आमंत्रित की जाती है।

क्र.स.	कार्य का नाम	अनुमानित राशि रूपये (वार्षिक)
1.	मासिक किराये के आधार पर वाहन उपलब्ध कराने के संबंध में	2500000/–

दर आमंत्रण प्रपत्र दिनांक 24.08.2018 को कार्यालय समय से 06.09.2018 को सांय 5.00 बजे तक कमरा नम्बर 204 द्वितीय मंजिल, स्वास्थ्य भवन से 500/– का डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी के पक्ष में बनाकर प्राप्त किये जा सकते है तथा दिनांक 07.09.2018 को अपरान्ह 4.00 बजे तक बोली प्रतिभूति की राशि रू. 50000/– (पचास हजार मात्र) का डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संलग्न कर कमरा नं0 222, द्वितीय तल स्वास्थ्य भवन, जयपुर में जमा कराये जा सकते है। दर आमंत्रण प्रपत्र दिनांक 10.09.2018 को ही अपरान्ह 12.00 बजे उपस्थित दर प्रस्तुत कर्ताओं के समक्ष खोले जावेगें।

दरें मुहरबन्द लिफाफे में प्रस्तुत की जावे, जिस पर स्पष्ट रूप से "मासिक किराये के आधार पर वाहन लेने हेतु" निविदा लिखा होना चाहिए। दर आमंत्रण सूचना स्वास्थ्य भवन की विभागीय वेबसाईट www. rajswasthaya.nic.in & http://sppraj.nic.in पर भी उपलब्ध है।

शासन सचिव
चिकि. स्वा. एवं प.क.
एवं मिशन निदेशक एनएचएम

क्रमांक :– एफ. 11/एनएचएम/भण्डार/मासिक वाहन/2018/ दिनांक :–
प्रतिलिप :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

01. निजी सहायक, शासन सचिव एवं मिशन निदेशक एनएचएम।
02. निदेशक आरसीएच।
03. निदेशक वित्त एनएचएम।
04. मैनेजर, यातायात यूनिट, राजस्थान टूरिज्म डवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, खासा कोठी जयपुर।
05. केयर टेकर, उधोग भवन को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना का आपके विभाग में पर्याप्त प्रचार प्रसार करावें।
06. केयर टेकर, विधुत विभाग को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना का आपके विभाग में पर्याप्त प्रचार प्रसार करावें।
07. केयर टेकर, कृषि विभाग को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना का आपके विभाग में पर्याप्त प्रचार प्रसार करावें।
08. केयर टेकर, शासन सचिवालय को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना का पर्याप्त प्रचार प्रसार कराने का श्रम करावें।
09. केयर टेकर, योजना विभाग को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना का आपके विभाग में पर्याप्त प्रचार प्रसार करावें।
10. मै0 नीलम टयूर प्लानर्स, जी–68, अग्रसेन टावर, सैन्ट्रल स्पाईन विधाधर नगर जयपुर।
11. मै0 बालाजी टयूर्स, डी–18, विजयविहार कालोनी नया खेड़ा, अम्बावाडी जयपुर।
12. मै0 गुरू जम्भेश्वर टयूर एण्ड ट्रेवलर्स, बी–109, जयपुर नगर निगम के सामने, लाल कोठी टोंक रोड जयपुर।

13. मै0 वंशिका टयूर एण्ड टेवल्र्स, बी–17,ए पृथ्वी नगर, नया खेडा, विधाधर नगर जयपुर।
14. मै0 कार्तिकेय टयूर एण्ड ट्रेवल्र्स, 47, विनय विहार, खिरणी फाटक जयपुर।
15. मै0 नेशनल टयूर प्लानर्स, 13, राजेन्द्र नगर ए दादी का फाटक जयपुर।
16. मै0 खुशी टयूर प्लानर्स, धनश्री फर्स्ट, सैन्ट्रल स्पाईन विधाधर नगर, जयपुर।
17. मै0 नैनवा टयूर एण्ड ट्रेवल्र्स, स्वर्ण पथ, मानसरोवर जयपुर।
18. मै0 ग्लोबल टयूर्स एण्ड ट्रेवल्र्स, 205, अरिहन्त प्लाजा, मालवीय नगर जयपुर।
19. मै0 साई कृपा ट्रेवल्र्स, एस/जी 26 जेडीए काम्पलेक्स, सुभाष नगर, जयपुर।
20. मै0 पूजा टयूर एण्ड ट्रेवल्र्स, 178, राम नगर सोडाला जयपुर।
21. मै0 मरूधर टूयर्स एण्ड ट्रेवल्र्स, एच–20, भगत सिंह मार्ग, सी–स्कीम जयपुर।
22. मै0 स्वागत टयूर एण्ड ट्रेवल्र्स, 3 झ18, जवाहर नगर, जयपुर।
23. मै0 राजस्थान फोरव्हील ड्राईव प्रा0लि0, 1–ए, फतह नगर, सूर्य नगर, तारों की कूट, टोंक रोड जयपुर।
24. मै0 जैन टैक्सी सर्विसेज, 56, सारती नगर, जलपथ, श्याम नगर, सोडाला जयपुर।
25. मै0 बोबी ट्रेवल्र्स, ए–1, नाहरगढ किले के नीचे, मीना बस्ती जयपुर।
26. सलाहकार आईटी को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना विभागीय वेबसाईट www. rajswasthya. nic.in & http://sppraj.nic.in पर आवश्यक रूप से अपलोड करावें।

निदेशक (आरसीएच) एनएचएम
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान जयपुर।

निविदा प्रपत्र

राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी के लिए मासिक किराये के आधार पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु

क्रमांक :– एफ. 11/एनएचएम/भण्डार/मासिक वाहन/2018/ दिनांक :–

(निविदायें राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी (एनएचएम) में दिनांक 10.09.18 को मध्यान्ह 4.00 बजे खोली जायेगी)

निविदाकर्ता का नामः– ....

पत्राचार का पूर्ण पताः– ....

....

....

....

दूरभाष नं. :– .... फैक्स नं. : ....

ई–मेल :– .... मोबाईल न. ....

राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी (एनएचएम)

द्वितीय तल, रूम नं0 222, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

फोन नं0 – Phone No – 0141-2220962

11
23/8/18

निविदा प्रस्तुत करने की दिनांकः– 10.09.2018
निविदा प्रस्तुत करने का समय :– दोप. 1.00 बजे तक

परिशिष्ट – अ

मिशन निदेशक, राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसाईटी, जयपुर

(I) **मासिक किराये के आधार** पर वाहन किराये पर लेने की मासिक दरें :–

वाहन का नाम (मेक सहित) डीजल कार (1 सितम्बर 2012 के बाद का मॉडल)	न्यूनतम 1500 कि.मी. की प्रतिमाह दर मय जीएसटी इत्यादि		न्यूनतम 1500 कि.मी. के अतिरिक्त के लिए प्रति0कि0 की दर मय जीएसटी इत्यादि	
	अंको में	शब्दों में	अंको में	शब्दों में
इण्डिगो या समकक्ष				

1. उक्त समस्त प्रकार के वाहनों की संख्या 15 से 20 प्रतिमाह होना संभावित है, लेकिन आवश्यकता होने पर संख्या धटाई या बढाई जा सकती है।
2. वाहन की मरम्मत, पीओएल आदि व्यय वाहन के ठेकेदार द्वारा ही वहन किये जायेगें।
3. समस्त प्रकार की दरें सर्विस टैक्स एवं अन्य टैक्स इत्यादि सहित दी जावे।
4. वाहन को आवश्यकतानुसार कभी भी जयपुर से बाहर भेजा जा सकता है, इस हेतु पार्किंग, टोलटैक्स, इन्टरस्टेट टैक्स ईत्यादि का भुगतान मूल रसीद प्रस्तुत करने पर अलग से देय होगा।
5. वाहन प्रतिदिन प्रातः 9.00 बजे अथवा अधिकारी द्वारा सूचित किये गये समय पर अधिकारी के पास भिजवाना होगा तथा डयूटी अधिकारी के द्वारा सूचित समय उपरान्त समाप्त मानी जावेगी।
6. राजपत्रित अवकाशों के दिन भी आवश्यकता होने पर वाहन उपलब्ध कराना होगा, जिसका कोई अतिरिक्त चार्ज नही दिया जावेगा।
7. वाहन के खराब होने की स्थिती में वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था तुरन्त करनी होगी।
8. वाहन चालक के पास मोबाईल फोन होना अतिआवश्यक है, तथा फोन की कनेक्टिवीटी 24 धण्टे चालू रखनी होगी। साथ ही वाहन चालक के पास वैध लाईसेन्स होना आवश्यक है, जिसकी प्रति कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध करानी होगी।
9. जयपुर मुख्यालय के बाहर रात्रि विश्राम करने पर 200 रूपये प्रति रात्रि विश्राम चार्जेज अतिरिक्त देय होगा।
10. निविदा मूल्यांकन के लिये यह माना जावेगा कि वाहन न्युनतम प्रतिमाह 1500 कि0मी0 तक चलेगा।
11. अनुबंधित वाहन के किसी भी प्रकार की टूटफूट या दुर्घटना अथवा चालान होने पर जिम्मेदारी इस विभाग की नहीं होगी। इसका उत्तरादायित्व वाहन मालिक का स्वंय का ही होगा।
12. वाहन के किलोमीटर की रिडिंग की सूचना लॉग बुक Duty Slip में प्रतिदिन अंकित की जावेगी। यात्रा समाप्ति पर कुल किलोमीटर वाहन जिसका प्रयोग किया गया है, के सत्यापन का हस्ताक्षर संबंधित प्रयोग कर्ता अधिकारी से, मय उनके नाम एवं पद कराने होगें।
13. वाहन के साथ हर समय पंजीयन/रोड़ टैक्स/फिटनेस प्रमाण पत्र, Comprehensive बीमा, प्रदूषण एवं आवश्यक दस्तावेज होना आवश्यक है। वाहन टैक्सी परमिट का ही होना चाहिए।
14. फर्म के द्वारा संस्थान अथवा निर्दिष्ट स्थान पर वाहन मंगवाये जाने पर वाहन के किलोमीटर की गणना स्वास्थ्य भवन/राजकीय कार्यालय से ही मान्य होगी तथा यात्रा समाप्ति उपरान्त भी अंतिम गन्तवय स्थान/स्वास्थ्य भवन तक ही गणना मान्य होगी।
15. वाहन यथा सम्भव कार्यालय परिसर में ही खडा किया जावेगा, लेकिन वाहन खडे करने का जोखिम अनुमोदित ठेकेदार का ही होगा।

16. वाहन चालक स्वच्छ ड्रेस में तथा वाहन भी साफ स्वच्छ होना चाहिए।
17. वाहन चालक को विभिन्न कानूनों नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित सुविधायें निविदाकार द्वारा स्वंय के स्तर पर उपलब्ध कराई जायेगी। इस सम्बंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) का कोई दायित्व नहीं होगा।
18. वाहन चालक की किसी भी कारणवश मृत्यु हो जाती है या अन्य किसी रूप में दुर्घटनाग्रस्त/घायल/अपंग हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी एवं क्षतिपूर्ति/मुआवजा आदि देने का समस्त भार निविदादाता द्वारा ही वहन किया जावेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन इसके लिए किसी भी प्रकार से सहयोगी एवं जिम्मेदार नहीं होगा।
19. किसी भी दावे का भुगतान नियमानुसार सर्विस टैक्स/आयकर अथवा अन्य कर जो सरकार द्वारा दायी हो, की कटौती के पश्चात् ही किया जावेगा।
20. विभाग न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा तथा किसी भी निविदा या निविदा के भाग को बिना कारण बताये रद्द करने का पूर्ण अधिकार मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जयपुर को होगा।
21. समस्त कानूनी कार्यवाही यदि किसी भी पक्ष द्वारा किंये जाने की आवश्यकता पड़े तो जयपुर स्थित न्यायालयों में ही होगी अन्य स्थान पर नही।
22. किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जयपुर का निर्णय अंतिम होगा।

दिनांक :– ..../......./2018

हस्ताक्षर निविदादाता

क्र. स.	फर्म का विवरण			
1.	फर्म का नाम एवं पूरा पता			
2.	**दूरभाष** : कार्यालय :– निवास :– मोबाईल :– ई – मेल :–			
3.	फर्म का मालिकाना हक है। (एकल या साझेदारी या पंजीकृत संस्था) प्रति संलग्न प्रमाणित			
4.	फर्म के मालिक / साझेदारों का नाम व पूरा पता (Firm Deed Document की प्रति)			
5.	फर्म का गुडस एण्ड सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं फोटोप्रति			
6.	(अ) निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम व पता (ब) किस हैसियत (यथा मालिक / अधिकृत ठेकेदार / मैनेजर / सचिव) से हस्ताक्षर किये है। (स) मालिक के अतिरिक्त अन्य हस्ताक्षरकर्त्ता ने स्वयं के पक्ष में समुचित अधिकार पत्र प्रस्तुत किया है। हॉ / नहीं ?			
7.	सलंग्न बोली अमानत राशि का विवरण / डी0डी0 / बैंकर चैक (राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी, जयपुर के नाम)	डी0डी0 / बैंकर चैक /		
8.	फर्म के पास उपलब्ध वाहनों का विवरण – मय Registration Photocopy	**मेक**	**मॉडल**	**संख्या**

दिनांक :– हस्ताक्षर निविदादाता फर्म मय मोहर

परिशिष्ठ – स

राजस्थान सरकार
राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसाईटी

राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी, में वर्ष 2018–19 में वाहन किराये पर लेने की निविदा की शर्ते :–

1. निविदाकार को निविदा सीलबंद लिफाफे में "वाहन मासिक किराये पर लेने हेतु निविदा" लिखकर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जयपुर को प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे के कोने पर निविदादाता अपना पूर्ण पता, दूरभाष न0, मोबाईल नं0 आदि अवश्यक लिखें।
2. निविदा के साथ बोली प्रतिभूति का बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट सलंग्न करना आवश्यक है। उक्त राशि का बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न नहीं होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. निविदा निर्धारित प्रपत्र पर ही स्वीकार्य होगी जो उपस्थित निविदादाता के समक्ष निर्धारित तिथि एवं समय पर खोली जावेगी। विलम्ब से प्राप्त, सशर्त एवं अपूर्ण निविदा स्वीकार नहीं होगी। निविदा दरें स्पष्ट शब्दों व अक्षरों में केवल बॉलपेन से ही भरी जाये। निविदा में कांट छांट/ओवरराईटिंग को सुचारू रूप से सत्यापित किया जावेगा।
4. किराये की दरें परिशिष्ठ – 'अ' में दिये गये प्रपत्र में प्रस्तुत की जाये तथा परिशिष्ठ – 'ब' में अपेक्षित सूचनाये आवश्यक दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियों के साथ प्रस्तुत की जावे।
5. निविदा एवं अनुबंध की शर्तो के अनुसार संतोषप्रद कार्य नही करने पर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, संविदा को एक सप्ताह का नोटिस देकर समाप्त करने का अधिकार होगा। इस संबंध में मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का निर्णय अन्तिम होगा।
6. फर्म के गठन मे किसी भी परिवर्तन की सूचना अनुबंधकर्ता फर्म द्वारा इस विभाग को लिखित में दी जावेगी, जो मान्य होने पर ही लागू होगा, किन्तु इन परिस्थितियों में भी विभाग से हुए इस अनुबंध के संबंध में अनुपालना के दायित्व से मूल अनुबंधकर्ता को विमुक्त नहीं किया जावेगा।
7. निविदा की दरों का आधार – अनुबन्धित वाहनों जो टेक्सी के रूप में परिवहन विभाग में पंजीकृत होगा, मय वाहन चालक की सेवाओं सहित लिये जायेगा।
8. वाहन का मॉडल 1 जनवरी 2012 से पूर्व का नहीं होना चाहिए।
9. निविदादाता निविदा पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाणस्वरूप हस्ताक्षर करेगा।
10. निविदादाता द्वारा निविदा शर्तो के विपरीत अंकित की गई अथवा निविदा मे सशर्त दरों के रूप में अंकित किसी भी शर्त के मान्यता नहीं दी जावेगी।
11. विभाग न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा तथा किसी भी निविदा या निविदा के भाग को बिना कारण बताये रद्द करने का पूर्ण अधिकार मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जयपुर को होगा।
12. अनुबंधकर्ता फर्म को दिया गया कान्ट्रेक्ट, फर्म किसी अन्य एजेन्सी अथवा फर्म को नहीं सौंप सकेगी अर्थात सबलेट नहीं कर सकेगी।
13. अनुबंध की अवधि अनुबंध के हस्ताक्षर होने की दिनांक से एक वर्ष के लिए होगी, जिसे आरटीपीपी नियमानुसार परस्पर सहमति से समय–समय पर अनुबंध अवधि में अधिकतम 6 माह की वृद्धि ओर की जा सकती है।
14. निविदा प्रस्तुत करते समय निविदादाता को बोली प्रतिभूति के रूप में नियमानुसार राशि राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी, जयपुर के पक्ष में जमा करानी होगी। निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में यह

राशि Performance Security में समायोजित कर ली जा सकेगी तथा निविदा अस्वीकृत होने की स्थिति में यह राशि लौटा दी जावेगी।

15. Bid Security (बोली प्रतिभूति) का समपहरण/जब्त (Forfeiture) निम्न स्थितियों में किया जा सकेगा :—

- ➢ जब निविदादाता निविदा खोले जाने के पश्चात् किन्तु निविदा की स्वीकृति के पूर्व निविदा वापस ले लेता है या प्रस्ताव को उपान्तरित (Modificaton) कर देता है।
- ➢ जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित करार यदि कोई हो निष्पादित नहीं करता,
- ➢ जब कार्यादेश दिये जाने के पश्चात् नियत समय मे Performance Guarantee राशि जमा नहीं कराता या,
- ➢ जब निर्धारित समय में कार्य प्रारम्भ करने में विफल रहता है।

16. विभाग द्वारा समानान्तर Contract किया जा सकता है। निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में सफल निविदादाता को स्वयं के खर्चे पर नियमानुसार नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पर विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुबंध करना होगा। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पूर्व अनुबंधकर्ता को वार्षिक अनुबंध राशि के 5 प्रतिशत राशि (अमानत राशि के समायोजन सहित) के बराबर कार्य संपादन प्रतिभूति राशि के रूप में विभाग को डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक द्वारा जमा करानी पडेगी। यह राशि अनुबंध के संतोषजनक निष्पादन होने की स्थिति में अनुबंध की अवधि समाप्त होने पर वापिस लौटा दी जावेगी। इस राशि पर विभाग द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

17. Performance Security को निम्न परिस्थितियों में समपहरण/जप्त (Forfeiture) किया जा सकता है :—

- ➢ जब निविदा के किसी निबंधन और शर्तो को भंग किया जाता है।
- ➢ निविदादाता संतोषप्रद रूप से सेवा प्रदायगी में विफल रहता है।
- ➢ प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के मामले में उपयुक्त समय का नोटिस दिया जाएगा। समय के संबंध में विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

18. वाहन चालक के पास चालू हालत में मोबाईल फोन होना आवश्यक है। वाहन Comprehensively insured होगा। वाहन आवश्यकतानुसार 24 घंटे में कभी भी मांगा जा सकता है। मोबाईल फोन बंद होने की स्थिति में वाहन आपूर्ति नहीं करने पर वाहन तत्काल इस कार्यालय द्वारा अन्य एजेन्सी से मंगवाकर कार्य सम्पादित कर लिया जावेगा। इस प्रक्रिया मे जो भी व्यय होगा उसके अन्तर की दुगनी राशि अनुबंधित एजेन्सी (सफल निविदादाता) के भुगतान से काट ली जावेगी।

19. दरों में सभी आनुषांगिक प्रभारो को शामिल करना चाहिये। फर्म के द्वारा संस्थान अथवा निर्दिष्ट स्थान पर वाहन मंगवाये जाने पर वाहन के किलोमीटर की गणना सम्बधित राजकीय कार्यालय से ही मान्य होगी तथा यात्रा समाप्ति उपरान्त भी अंतिम गन्तव्य स्थान तक ही गणना मान्य होगी।

20. अनुबंधित वाहन के किसी भी प्रकार की टूटफूट या दुर्घटना अथवा चालान होने पर जिम्मेदारी इस विभाग की नहीं होगी। इसका उत्तरदायित्व वाहन मालिक का ही होगा।

21. इस कार्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार वाहन किराये पर लिया जायेगा। निर्धारित कि0मी0 के बाद अतिरिक्त कि0मी0 की दरें अलग से दी जावेगी। वाहन का प्रयोग किसी भी स्थान की यात्रा हेतु किया जा सकता है।

22. वाहन के किलोमीटर की रिडिंग आदि सूचना लॉग बुक Duty Slip में प्रतिदिन अंकित की जावेगी। यात्रा समाप्ति पर संबंधित प्रयोग करने वाले अधिकारी के, कुल किलोमीटर वाहन का प्रयोग किया गया है के सत्यापन का हस्ताक्षर मय नाम एवं पद कराने होगें।

23. वाहन के साथ हर समय पंजीयन/रोड़ टैक्स/फिटनेस प्रमाण पत्र, Comprehensive बीमा, प्रदूषण एवं आवश्यक दस्तावेज होना आवश्यक है। वाहन टैक्सी परमिट का ही होना चाहिए।

24. वाहन की मरम्मत एवं पीओएल आदि व्यय वाहन के ठेकेदार द्वारा ही वहन किये जायेगें।

25. वाहन साफ–सुथरी अवस्था में उपलब्ध होनी चाहिए तथा सीट पर साफ सुथरा कवर लगा कर ही भेजना होगा। वाहन चालक निर्धारित वर्दी में होना चाहिए।

26. इस विभाग द्वारा उपलब्ध अनुबंधित वाहन की यथा समय जांच की जा सकेगी एवं सही नही पाये जाने पर या ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतने पर वाहन को तत्काल वापस भेज दिया जावेगा तथा भुगतान में से सेवा दोष के कारण शास्ती की कटौती की जावेगी।

27. कार्यालय के उपयोग किए जाने की अवधि में यदि कोई वाहन खराब हो जाता है तो उसकी मरम्मत कराने व मरम्मत पर होने वाले व्यय की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

28. वाहन की कन्डीशन वाहन भेजे जाते समय अच्छी होनी चाहिए। अगर वाहन रास्ते में खराब हो जाता है तो तुरन्त अन्य वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। विभाग द्वारा व्यवस्था करने पर उसका हर्जाना (Risk & Cost) स्वरूप राशि की कटौती एजेन्सी के बिल में से करने हेतु विभाग को पूर्ण अधिकार होगा।

29. नियमित मासिक वाहनों के अतिरिक्त वाहन जो समय–समय पर विभिन्न श्रेणियों के होंगे, विभाग द्वारा मांग करने पर, वाहन समय पर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी, यदि विभाग द्वारा अतिरिक्त वाहन की मांग की जाती है एवं निविदादाता द्वारा वाहन उपलब्ध नहीं कराने पर विभाग द्वारा यदि बाजार से लिया जायेगा तो उसका आधार Risk & Cost होगा, जिसकी पूर्ति निविदादाता के दावों से या अन्यथा की जावेगी।

30. अनुबंधित वाहन पर वाहन चालक वैध लाईसेंसधारी मय वर्दी के होगा व वाहन के समस्त कागजात व ड्राईविंग लाईसेंस सदैव अपने पास रखेगा। ड्यूटी के दौरान वाहन चालक तम्बाकु का सेवन एवं किसी भी प्रकार का नशा नही करेगा।

31. वाहन चालक का विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति व्यवहार मर्यादा पूर्ण होगा।

32. वाहन के सम्बंध में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर विभाग तुरंत प्रभाव से वाहन को हटा सकेगा जिस सम्बंध में विभाग द्वारा वाहन मालिक को कोई हर्जाना देय नहीं होगा तथा इसकी समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी, साथ ही सुरक्षा राशि भी जप्त (Forfaiture) की जा सकती है।

33. अन्तर्राज्यीय कर/टोल टैक्स/पार्किंग का यदि भुगतान किया जाता है तो निविदादाता द्वारा भुगतान किया जाकर विभाग को प्रस्तुत किये जाने वाले बिल के साथ रसीद संलग्न करने पर पुनर्भरण किया जावेगा। वाहन के मुख्यालय (जयपुर) से बाहर जाने एवं वहीं रात्रि विश्राम करने पर अतिरिक्त रूपये 200/– प्रति रात्रि विश्राम चार्जेज देय होगा।

34. किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जयपुर का निर्णय अंतिम होगा।

35. समस्त कानूनी कार्यवाही यदि किसी भी पक्ष द्वारा किये जाने की आवश्यकता पड़े तो जयपुर स्थित न्यायालयों में ही होगी अन्य स्थान पर नही।

36. वाहन चालक को विभिन्न कानूनों नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित सुविधायें निविदाकार द्वारा स्वंय के स्तर पर उपलब्ध कराई जायेगी। इस सम्बंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) का कोई दायित्व नहीं होगा।

37. वाहन चालक की किसी भी कारणवश मृत्यु हो जाती है या अन्य किसी रूप में दुर्घटनाग्रस्त/घायल/अपंग हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी एवं क्षतिपूर्ति/मुआवजा आदि देने का समस्त भार निविदादाता द्वारा ही वहन किया जावेगा। मिशन इसके लिए किसी भी प्रकार से सहयोगी एवं जिम्मेदार नहीं होगा।

38. फर्म को किये जा रहे भुगतान के साथ GST का भुगतान किया जाता है तो फर्म की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी की वो उक्त कर की राशि नियमानुसार निर्धारित समयावधि में राजकोष में जमा करावें। अगर फर्म के द्वारा विलम्ब किया जाता है, और कोई पैनेल्टी इत्यादि लगती है तो इसकी समस्त जिम्मेवारी फर्म की होगी।

39. फर्म को किये जा रहे भुगतान में से नियमानुसार आयकर अथवा अन्य कर जो सरकार द्वारा दायी हो, की कटौती के पश्चात् ही भुगतान किया जावेगा।

40. प्राप्त निविदाओं को दृष्टिगत रखते हुये किसी शर्त में शिथिलन की आवश्यकता महसूस की जावेगी तो ऐसा शिथिलन समस्त निविदाकारों पर समान रूप से लागू होगा।

निदेशक आरसीएच, एनएचएम
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान जयपुर।

मैने उपरोक्त सभी शर्तों का सावधानी पूर्वक परिशीलन कर लिया है एंव समझ लिया है तथा मैं/हम उपरोक्त सभी शर्तों से प्रतिबधित रहुँगा/रहेगे।

निविदादाता का नाम एवं हस्ताक्षर मय मोहर